राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 08.04.2015

समस्त उपखण्ड अधिकारी,
राजस्थान

विषय :- भामाशाह नामांकन केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु दिशा निर्देश।

आर.के.सी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त केन्द्रों को स्थानीय स्तर पर भामाशाह नामांकन हेतु अधिकृत करने हेतु निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. इन केन्द्रों द्वारा भामाशाह एवं आधार नामांकन के लिए स्थानीय स्तर पर उपखण्ड अधिकारी के साथ एग्रीमेंट कर सिक्योरिटी राशि जमा कराकर ही नामांकन किये जा सकते हैं।
2. ऐसे केन्द्र नामाकंन हेतु स्थायी नामाकंन केन्द्रों के समान ऑन-लाइन भामाशाह नामाकंन कर सकेंगें। ऐसे नामाकंनों एवं उनके सत्यापनों की प्रक्रिया ई-मित्र पर किये जा रहे नामांकनों के अनुसार रहेगी इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश इस विभाग के परिपत्र-8 दिनांक 23.12.2014 के द्वारा जारी किये गए हैं। स्थानीय प्रशासन ऐसे आई टी केन्द्रों से किसी अन्य स्थान पर भी नामाकंन कैम्प लगवा सकेगा ऐसी स्थिति में नामाकंन ऑफ-लाइन किये जाएंगे एवं भामाशाह कैम्प के लिए आवश्यक हेल्प डेस्क, सत्यापक, कैम्प प्रभारी आदि समस्त व्यवस्थाऐं इस विभाग के द्वारा पूर्व में जारी निर्देशानुसार की जाएगी।
3. नामांकन के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं इस बाबत् आवश्यक जानकारी प्रमुखता से केन्द्र पर प्रदर्शित (Display) की जाएगी।
4. नामाकंन डेटा एवं सभी संबंधित स्कैन्ड दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में अपलोड करने की जिम्मेदारी संबधित केन्द्र की होगी।
5. ऐसे केन्द्रों द्वारा नामाकंन एजेन्सियों के चयन से संबंधित अभिरूचि (Expression Of Intrest) में उल्लेखित शर्तो एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। एजेन्सियों के चयन से संबंधित अभिरूचि एवं दिशा निर्देशों की जानकारी भामाशाह पोर्टल (http://bhamashah.rajasthan.gov.in) के सर्कुलर सेक्शन में उपलब्ध हैं।

6. ऐसे केन्द्रों को नामाकंन के लिए नामाकंन एजेन्सी का कोड राजकॉम्प द्वारा जारी किया जाएगा एवं सभी ऑपरेटरों एवं मशीनों को रजिस्टर्ड/ऑनबोर्ड किया जाएगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के तकनिकी सहयोग के लिए भामाशाह नियंत्रण कक्ष (0141-5166223) पर संपर्क किया जा सकता हैं।
7. ऐसे केन्द्रों द्वारा किये गये नामाकंनों के लिए भुगतान सीधा बैंक खाते में किया जाएगा अतः अधिकृत बैंक खाते का विवरण संलग्नक 'अ' में राजकॉम्प को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। भुगतान संबंधित सभी शर्ते व्यक्ति की अभिरूचि (Expression Of Intrest) के अनुसार रहेगी।
8. उपरोक्तानुसार बिन्दू पूर्व में प्रेषित अनुबंध के प्रारूप में समावेशित/ अंकित किये गये है।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव
सू. प्रौ. और संचार एवं आयोजना विभाग

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला कलेक्टर्स
2. प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर
3. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग................................
4. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

संलग्नक 'अ'

बैंक खाते का विवरण

1.	आर.के सी.एल केन्द्र संचालक का पूरा नाम	
2.	आर.के सी.एल केन्द्र संचालक का पूरा पता	
3.	संचालक का मोबाइल नं.	
4.	आर.के सी.एल केन्द्र का EA कोड	
5.	बैंक खाता संख्या	
6.	बैंक का नाम	
7.	बैंक का पूर्ण पता	
8.	बैंक का IFSC कोड	

नोटः– उक्त विवरण आर.के सी.एल केन्द्र के लेटर पेड पर दिया जाना है।

हस्ताक्षरः

नामः

आर.के सी.एल केन्द्र की सील